न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/428

मिसल नम्बर– 62 / 2025

1.किशन चन्द लखानी पुत्र श्री
2.रजनी पत्नी श्री किशनचन्द निवासीगण हाल बी 907 मल्टीपल बिल्डिंग ट्रक यूनियन के पास, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.प्रमोद उर्फ पिक्कू लखानी पुत्र किशनचन्द
2.टीया उर्फ रेनूका लखानी पत्नी प्रमोद लखानी निवासीगण 6 पी 16 कृष्णकुंज बसंत विहार कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/02/2026

उपस्थितिः–
1.प्रार्थीगण स्वयं
2.श्री महिपाल सिंह अप्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हाल बी–907, मल्टीपल बिल्डिंग, ट्रक यूनियन के पास, पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा राज0 की निवासी है। प्रार्थी गण की चार संतानें कुमशः प्रदीप लखानी, प्रमोद उर्फ पिक्कू लखानी, कीर्ति लखानी एवं टीना लखानी है। जिन में से प्रदीप व प्रमोद प्रेम विवाह कर प्रार्थीगण से अलग निवास कर रहे है। तथा कीर्ति व टीना का विवाह भोपाल में सम्पन्न हुआ, किन्तु दहेज प्रताडना व घरेलू हिसा के चलते ससुराल वालों से विवाद के चलते प्रार्थीगण की पूत्री टीना वर्तमान में प्रार्थीगण के साथ निवास कर रही है । व कीर्ति अपने ससुराल भोपाल में निवास कर रही है, प्रार्थी कम 1 विकलांग है इस कारण प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। अप्रार्थीगण नें प्रार्थीगण की पुत्री के साथ छलकपट एवं धोखाधडी कारित कर प्रार्थीगण के द्वारा अपनी पुत्री को दिया गया स्त्रीधन कमशः दो चूड़ी सोने की, दो कंगन सोनें का, दो सोने की चौन 4 अंगूठी मोटी सोने की, एक मंगल सूत्र सोनें का दिया था जो प्रार्थीगण की पुत्री का स्त्रीधन एवं 50 हजार रूपये नकद बैंक लोकर में रखनें के नाम पर हडप कर लिया, जिसे आज दिनांक तक नही लोटाया। साथ ही प्रार्थीगण की पुत्री को न्याय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिलानें के नाम पर उसके पास जमा पूंजी को भी हडप कर लिया। जब प्रार्थीगण की पूत्री नें अपना स्त्रीधन व अपनी जमा पूंजी की मांग की तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगे, जब प्रार्थीगण नें अपनी पुत्री का स्त्रीधन लोटाने को कहा तो अप्रार्थीगण नें प्रार्थीगण व उसकी पूत्री व पति के साथ अभद्रता की, गाली गलोच कर प्रार्थीगिण की पूत्री को जान से मारने की धमकी दी। अप्रार्थीगण नें कई बार प्रार्थीगण व उसके परिजन को डरायां व धमकाया तथा प्रार्थीगण से घर खर्च हेतु 50,000/–रूपये की मार्ग करता, जब प्रार्थीगण ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अप्रार्थी कम 1 को बताया तो अप्रार्थीगण नें प्रार्थीगण के साथ मारपीट की, तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि प्रार्थीगण की बड़ी पुत्री कीर्ति से 2 लाख रूपये दिलाओ नही तो उसको जान से मरवा दूंगा, तुम्हारी दोनों पुत्रियों का घर बर्बाद कर दूंगा। दि० 13.03.2025 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के निवास स्थान बोरखेडा पहुंचे तथा प्रार्थीगण से उसकी पुत्री टीना के द्वारा मांग किये जा रहे स्त्रीधन को भूल जानें के लिए कहा, तथा प्रार्थीगण के विरोध करनें पर प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच कर उसके साथ मारपीट कर प्रार्थीगण को धमकी दी कि यदि उनको 2 लाख रूपये नही मिले तो उसकी पुत्रियों के घर को बर्बाद कर देगें, या उनके हाथ पैर तुड़वा देगें। यदि मेरे सामनें आये तो तुम सब की टांगो को काट दँगा, जिसकी रिपोर्ट दि० 13.03.2025 को प्रार्थीगण व उसकी पुत्री टीना के द्वारा पुलिस थाना बोरखेडा कोटा में दर्ज करवाई, किन्तु अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई, जिसके चलते अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द हो गये, तथा प्रार्थीगणकी बडी पुत्री कीर्ति व उसके पति को अज्ञात व्यक्ति से फोन पर धमकी दिलातें हैं कि 2 लाख रूपये का इंतजाम कर अप्रार्थीगण को दे दो, नही तो जान से मरवा देगें। साथ ही प्रार्थीगण की छोटी पुत्री टीना को स्त्रीधन के लिए मुंह बन्द रखने की धमकी देते है, अन्यथा उसके हाथ पैर तड़वा देगें एवं उसकी जबान कटवा देगें। जिसके चलते प्रार्थीगण व उसके परिजन मानसिक तनाव में जी रहे है। प्रार्थीया कूम 2 के द्वारा रिपोर्ट किये जाने के अगले दिन दिनाक– 14.03.2025 को सुबह अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के नये स्थान अनन्तपुरा, पहुचे जहां पर टीया के द्वारा गाली गलोच कर प्रार्थीया से होली खर्च मांगने लगी, तथा प्रार्थीगण की पुत्री टीना का मूंह बन्द रखने कि धमकी दी, तथा बात नही मानने पर अभियुक्त प्रमोद को तलाक देने की धमकी देनें लगी, जब प्रार्थीगण व उसके पति ने अपना भरण पोषण करने की बात कही तो अप्रार्थीगण भडक गये तथा प्रार्थीगण व उसके परिवार में गाली गलोच करते हुए उनके साथ मारपीट की गई, तथा धमकी दी कि यदि 7 दिन के अन्दर अन्दर 2 लाख रूपये नही दिये एवं प्रार्थीगण की पुत्री टीना का स्त्रीधन का जिक्र किया तो प्रार्थीगण के हाथ पैर तोड देगें, तथा प्रार्थीगण की पुत्रियों को हाथ पैर काट कर विकलांग कर देगें, अप्रार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थीगण का भरण पोषण नही किया, बल्कि उनके साथ गाली गलोच कर उनकी पुत्रियो को जान माल का भय दिखा कर उनके उपर मानसिक रूप से दबाव बना कर उन से अवैध चोथ वसूली को अंजाम दे रहे हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये कृत्य भारतीय न्याय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संहिता एवं सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण अत्यन्त वृद्ध हैं, जिसमें प्रार्थी किशन के रोड डली हुई है इस कारण मजदूरी करने में असमर्थ है तथा प्रार्थीया गंभीर बीमारी से पीडित है इसी के साथ प्रार्थीगण की पुत्री टीना का अपने पति से विवाद हो जाने के कारण टीना भी प्रार्थीगण पर ही आश्रित है किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन अपनें घर खर्च के लिए प्रार्थीगण से अनैतिक मांग करतें हैं, तथा प्रार्थीगण को 2 लाख रूपये की अनैतिक मांग कर रहे हैं, इसके लिए आये दिन प्रार्थीगण व उसके परिजन के साथ मारपीट करतें हैं तथा उन्हें डराते धमकातें हैं, अप्रार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक अपने वृद्ध माता पिता को किसी प्रकार की भरण पोषण की अदायगी नही की गयी, तथा उल्टा प्रार्थीगण से अवैध रकम की मांग की जाती है, जब कि प्रार्थीगण कामकाज करने में असमर्थ है, बमुश्किल अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर अपना भरण पोषण कर रहें हैं। अपना भरण पोषण हैतु प्रार्थीगण को 20,000/–रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति है, अप्रार्थीया दुकान लगाती है तथा अप्रार्थी कम 1 प्रोपर्टी का व्यवसाय करता है, दोनों कुल मासिक आय 50 हजार रूपये से 70 हजार रूपये तक होती है. तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को 20 हजार रूपये प्रतिमाह अदा करने में सक्षम व समर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को 20 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से भरण पोषण की राशि अप्रार्थीगण दिलवाये जाने एवं अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की सुरक्षा प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी का जवाब बंद किये जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थीगण को प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होने के पश्चात भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना अप्रार्थीगण का न्यायालय एवं न्यायिक कार्यवाही के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किये जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रस्तुत किया गया था।

चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपने माता पिता को 3000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ मारपीट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा एवं अभ्रद व्यवहार नही करे, उक्त मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा